न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-529RAAJodhpur2022-206RTA223 Sukhsingh Vs Leela kanwar etc

सुखसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. लीला कंवर पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।
3. कैलाश कंवर पत्नी नारायणसिंह
4. रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत, निवासीगण- तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. शाखा प्रबंधक यूको बैंक खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2017 लीला कंवर बनाम सुखसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री गौतम भार्गव, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बी.आर. विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2
श्री महीपालसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवता-रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 16 दिसबंर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2017 अनवान लीला कंवर बनाम सुखसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1056 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 1059 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1063 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 1064 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा संख्या 4 रकबा 36 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम उदलियावास की खाता संख्या 53 पर वर्तमान में दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 528 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 643 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 660 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 669 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 670 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 684 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 1050 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 1051 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1060 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1397/1052 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा जो वर्तमान में ग्राम उदलियावास की जमाबंदी में खाता संख्या 54 पर दर्ज है, खसरा नं. 1052 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1053 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1058 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1061 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 1062 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 1075 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, कुल खसरा 6 कुल रकबा 44 बीघा 4 बिस्वा, जो राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में खाता संख्या 324 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नं. 529 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जो मौजूदा समय में जमाबंदी के खाता संख्या 275 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा नं. 645 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 651 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा जो जमाबंदी के खाता संख्या 216 पर दर्ज है, तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 527

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा जो खाता संख्या 273 पर वर्तमान में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1071 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नं. 1074 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जो मौजूदा समय में जमाबंदी में खाता संख्या 325 पर दर्ज है, झूंझारसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत की खातेदारी की होना, झूंझारसिंह के दो पुत्र नारसिंह, (रेस्पो. संख्या एक के पिता) तथा प्रेमसिंह (अपीलाण्ट संख्या एक के पिता व दो के पति) होने के आधार पर हिन्दू विधि के अनुसार अपीलाण्ट्स का ½ तथा रेस्पो. का ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद नियमित वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में तनकीयात कायम की गई ,जिसमे तनकी संख्या एक से चार वादीनी के जिम्मे रखी गई, जिसमें वादीनी को यह साबित करना था कि वह किस आधार पर अपना हक-हिस्सा मांगने के लिए आई है। उक्त तनकियात में विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से खुलासा नही किया है कि वादीनी अपने वाद को साबित करते में किस प्रकार सफल रहीं है। वादीनी द्वारा अपने वाद में कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये गये। कानूनन बिना प्रदर्श अंकित किये दस्तावेज पढने योग्य नहीं माने जा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति का ही पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा उसकी साक्ष्य बंद कर दी गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 09.11.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि वह उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में वाद नहीं चलाना चाहता है। पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य का अंकन आदेशिका में भी किया, फिर भी अपीलांट के हितों के विपरीत जाते हुए मामले में निर्णय करने की आतुरता दिखाते हुए अपीलांट की बहस सुने बिना ही उसकी उपस्थिति लगाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि-विरुद्ध एवं एकपक्षीय पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। वादीनी ने अपने वाद में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमें स्व. झुझारसिंह के नाम दर्ज रही है जो पूर्ण रूप से गलत है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट के पिता नाहरसिंह के नाम दर्ज रही है तथा नाहरसिंह की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम से दर्ज हुई है। वादीनी के बयानों में वादग्रस्त आराजी का कब्जा काश्त अपीलांट के पास होना सिद्ध हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट संवतः 2011 में वादीनी के पूर्वज झुंझारसिंह के नाम दर्ज रहने से वादीनी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहते वाद को खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत की गई जो माननीय मण्डल द्वारा खारिज की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य हेतु पूर्ण अवसर दिये जाने के बावजूद भी वह मामले में लिंगारोहण करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर मामले में तनकी संख्या एक से चार वादीनी के पक्ष में निर्णित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार वादग्रस्त आराजी में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार है। वादीनी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा न ही उसके द्वारा विक्रय-पत्र को नल एण्ड वॉईड घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार के अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार के हक-हिस्से के विरुद्ध निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने प्रकट होता है कि जमाबंदी (खेवट खतौनी) **ग्राम उदलियावास तह. बिलाड़ा संवत् 2014 से 2017 की खतौनी जमाबंदी संख्या 2014 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी उदेसिंह, झुंझारसिंह बेटा चिमनसिंह अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदार रुप में दर्ज रिकॉर्ड है। इसी तरह खसरा गिरदावरी मौजा उदलियावास सवंत् 2008 से 2011 इसी नाम की पुष्टि करती है।** सेटलमेंट संवत् 2016 से 2030 में खाता संख्या 273 तथा 266 में अन्य सहखातेदारों के साथ उदेसिंह वल्द चिमनसिंह हि. 1/16 नारसिंह वल्द झुंझारसिंह हिस्सा 1/16 दर्ज रिकॉर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। इससे वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना साबित होता है। अपीलांट द्वारा स्वर्गीय झुंझारसिंह के दो पुत्र नाहरसिंह एवं प्रेमसिंह होने के तथ्य का रेस्पो. की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। अपीलांट सुखसिंह द्वारा निष्पादित इकरारनामा में भी यह स्वीकार किया है कि स्व. झूंझारसिंह के दो पुत्र स्व. नाहरसिंह एवं स्व. प्रेमसिंह थे। स्व. प्रेमसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके हिस्से की भूमि उनकी पत्नी रतनकंवर के नाम दर्ज नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके नाम 1/2 हिस्से की भूमि स्व. प्रेमसिंह की पत्नी रतनकंवर के नाम से आवश्यक रूप से दर्ज करवा दुंगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये स्व. झूंझारसिंह के संपूर्ण विधिक वारिसानों तथा उनके हिस्सों की जॉच कर पुनः मृतक झुंझारसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया है।

इन परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2017 अनवान लीला कंवर बनाम सुखसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2022 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-285 RAAJodhpur2023-153RTA223 Ganpatsingh ors Vs Kuldeepsingh etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
सुखसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. लीला कंवर पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर। 3. कैलाश कंवर पत्नी नारायणसिंह 4. रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत, निवासीगण- तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 1. शाखा प्रबंधक यूको बैंक खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2017 लीला कंवर बनाम सुखसिंह इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 16 दिसंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री गौतम भार्गव मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री बी.आर. विश्नाई, श्री महीपाल सिंह राठौड़, श्री भूपतसिंह जोधा अधिवक्तागण रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2017 अनवान लीला कंवर बनाम सुखसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 16 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर